



न्यायालय सेशन न्यायाधीश झुंझुनूं (राज०)

लिंग पीठासीन अधिकारी:-

आशीष कुमार कुमावत,

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध आपराधिक जमानत प्रार्थना पत्र संख्या:- **131/2026 (CIS N. 150/2026)**  
सुखवीर उर्फ फौजी पुत्र दल्लेराम, उम्र 30 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 7 नेहरू पार्क भूना,  
पुलिस थाना भूना, जिला फतेहाबाद (हरियाणा)

...प्रार्थी/अभियुक्त

//बनाम//

राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक झुंझुनूं (राज०)

....विपक्षी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

बमुकदमा एफआईआर संख्या 06/2026 पुलिस थाना मलसीसर

अन्तर्गत धारा 331(4),305(ए) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थित:-

1 श्री रामसिंह छापूनियां, विद्वान चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल वास्ते प्रार्थी

2 श्री रामावतार ढाका, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

आदेश

दिनांक:- 18.03.2026

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त सुखवीर उर्फ फौजी की ओर से विद्वान अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं द्वारा दिनांक 09.03.2026 को धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन जमानत आवेदन खारिज करने से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

2. नवपदस्थापित श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय द्वारा पदभार ग्रहण नहीं करने के कारण यह जमानत आवेदन सुनवाई हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ।

3. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 07.01.2026 को परिवादी किशोर कुमार ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना मलसीसर पर इस आशय की प्रस्तुत की कि वह परिवार सहित जयपुर में रहता है। सुबह पड़ोसियों से सूचना मिली कि परिवादी के घर में चोरी हो गई है, यह सुनने के बाद वह तुरन्त जयपुर से घर आने पर पता चला कि इन वस्तुओं की चोरी हुई है। चार जोड़ी पाजेब, तीन कम्बल, कपड़े, नए नोटों की गड्डियां 5,10,20,1,2, उसके छोटे भाई रोहिताश के कमरे से सोने का हार, टोपस, छः जोड़ी चांदी की पाजेब आदि सामान चोरी हुआ है जो गत रात्रि को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी किया गया इत्यादि। इस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 06/2026 अन्तर्गत धारा 331(4), 305(ए) भारतीय न्याय संहिता दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दौराने



अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 27.02.2026 को गिरफ्तार किया गया जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

4. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध वर्तमान के अतिरिक्त 08 अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताया गया है।

5. विद्वान चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों के अनुरूप बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को इस प्रकरण में झूठा आलिप्त किया गया है, प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी से कोई बरामदगी नहीं हुई है। उनका तर्क है कि सह अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी दिनांक 27.02.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ दिया जावे। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा इसका विरोध किया गया।

6. उभयपक्ष को सुनकर केस डायरी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 331(4), 305(ए) भारतीय न्याय संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध आरोप है। हालांकि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में आठ अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताया गया है परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2020(1) एससीसी 648 प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तरप्रदेश राज्य के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व के आपराधिक इतिहास के आधार पर ही उसे जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता। सह अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी दिनांक 27.02.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण प्रथम श्रेणी दण्डनायक द्वारा विचारणीय है जिसके विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण के समस्त तथ्य, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना मैं प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित समझता हूं।

7. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **सुखवीर उर्फ फौजी** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं की की संतुष्टिप्रद पच्चीस-पच्चीस हजार रूपए



की दो मोतबिर जमानते और पचास हजार रूपए का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत कर तस्दीक करवाने पर उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

8. न्यायिक नजीर In Re Policy Strategy For Grant of Bail, SMWP (Criminal) No. 4/2021, Dated. 31.01.2023 की पालना में प्रार्थी/अभियुक्त को व्यक्तिगत नोटिस हेतु आदेश की प्रति जरिए ई-मेल संबंधित कारागृह को प्रेषित की जावे।

(आशीष कुमार कुमावत)  
“लिक अधिकारी”  
सेशन न्यायाधीश  
झुंझुनूं (राज०)

9. आदेश आज दिनांक **18.03.2026** को लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(आशीष कुमार कुमावत)  
“लिक अधिकारी”  
सेशन न्यायाधीश  
झुंझुनूं (राज०)